पीठासीन अधिकारी महोदय के प्रशासनिक कार्य में व्यस्त होने से पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 7/10/2019 को पेश हो।

7/10/2019 ~~पत्रावली पेश हुई। [illegible] पत्रावली [illegible] वास्ते [illegible] 15/11/2019 को पेश हो।~~

15/11/19 पत्रावली पेश हुई। वकील अपीलांट उपस्थित। रेस्पो. सं. 1 व 2 के वकील उपस्थित। रेस्पो सं. 3 व 4 की ओर से राजकीय अधिवक्ता उपस्थित हैं। उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की मामले में बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने बहस करते हुए अपील में किये गए कथनों को दोहराते हुए कहा कि अधीनस्थ न्यायालय ने लोक अदालत कैंप खावड़ा में यह प्रकरण निस्तारित करने की नीयत से बिना अपीलांट को सुने एकतरफा एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों की अवहेलना करते आदेश पारित किया है। प्रकरण में कालेज भूमि के सभी रिकॉर्ड खातेदारों को पक्षकार नहीं बनाया है। अपील स्वीकार की जावे।

वकील रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 ने बहस करते हुए वकील अपीलांट के कथनों का विरोध किया। उन्होंने कहा कि केस कोर्ट में रखी जाने वाली पत्रावलियों के संबंध में पूर्व में पक्षकारों को उचित माध्यम से सूचित किया था अपीलांट पक्ष का जवाब नहीं आने से उनको तलब करके [illegible] किया गया। वादग्रस्त भूमि [illegible] इस मंशा से आदेश पारित किया है जो सही एवं वैधानिक है। अपील निरस्त की जावे।

उभय पक्ष की बहस में राजकीय अधिवक्ता ने विधि की दृष्टि में प्रकरण का पूर्ण परीक्षण कर समुचित आदेश पारित करने का निवेदन किया।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली और उसके तहत आदेशों का अपीलाधीन आदेश का अवलोकन किया।

P.T.O

[illegible] अपील खारिज [illegible] 2

का अवलोकन किया। प्रतिवादीगण (अप्रार्थीगण) को
रजिस्टर्ड A.D. से सम्मन भिजवाने के आदेश दिनांक
16.8.16 की आदेशिका में प्रदान किये गए। पुनः 5/4/17
की आदेशिका से आदेश हुए परन्तु उसके पश्चात्
वाली कोई आदेशिका नहीं होकर केवल एक स्टाम्प
लगाकर पेशी-दर पेशी दी गई और अन्ततः 29/5/18
को पत्रावली कोम्प कोर्ट वाकड़ा में रखी जाकर बिना
इस तथ्य की जाँच किये कि न्यायालय के पूर्व आदेशों
की पालना में अप्रार्थीगण की तलबी सम्मन रूप से
हुई है या नहीं, अपीलाधीन आदेश पारित किया गया।
यह आदेश अपीलान्ट्स (अप्रार्थीगण 1 व 2) को बिना
सम्मन सूचना तामील और उनको सुने बगैर एक-
पक्षीय उनकी अनुपस्थिति में किया गया है जो निसंदेह
प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत एवं अवैधानिक
है। अपीलाधीन आदेश यथावत रखे जाने के काबिल नहीं है।
अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जाता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आलोक में
न्यायालय यह उचित समझती है कि अपीलान्ट को सुनवाई
का समुचित अवसर मिल सके। अपील अपीलान्ट
अंशतः स्वीकार की जाकर मामला अधीनस्थ न्यायालय
को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह अपीलान्ट्स (अप्रार्थीगण
1 व 2) का जवाब लेकर मामले में गुणावगुण के
आधार पर उचित आदेश पारित करते हुए इसका
निस्तारण एक माह की अवधि में कर दे। उभय
पक्ष सुनवाई हेतु अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक
28/11/2019 को पेश हों। अपीलान्ट्स उसी रोज
अपना जवाबदावा पेश करना सुनिश्चित करें।

पत्रावली ज़ाब्ता सुधार होकर नंबर
से कम हो। बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(signature)